12 मई, 2017 को पूर्वाह्न 11 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 77वीं बैठक के लिए एजेंडा

मद संख्या 77.1 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (7 प्रस्ताव)

14 सितंबर 2012 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड में समान मामलों की जांच की तथा निम्नानुसार टिप्पणी की :

"अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को 5वें साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की तभी सिफारिश करने की सलाह दी कि विकासक द्वारा परियोजना के प्रचालन के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और वैधता अवधि पुन: बढ़ाया जाना उचित कारणों पर आधारित है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी टिप्पणी की कि नेमी मामले के रूप में वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती है जब तक कि विकासक द्वारा जमीनी स्तर पर कुछ प्रगति नहीं की जाती है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि की समाप्ति की तिथि से औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल की अवधि के लिए ***5***वें साल के बाद तथा ***6*** माह की अवधि के लिए छठें वर्ष के बाद बढ़ाने के अनुरोधों को मंजूरी प्रदान की।"

(i) पल्लीपुरम और विलूर गांव, त्रिवेंद्रम, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 15 मई, 2017 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क केरल का अनुरोध

विकासक का नाम **:**	मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क केरल (केरल सरकार का पूर्ण स्वामित्व)
क्षेत्र **:**	आईटी / आईटीईएस
लोकेशन :	पल्लीपुरम और विलूर गांव, त्रिवेंद्रम, केरल

विस्तार **:** विकासक को औपचारिक अनुमोदन 16 मई, 2012 को प्रदान किया गया था। विकासक को 2 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 15 मई, 2017 तक है। विकासक ने 15 मई, 2018 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है :

(क) व्यवसाय योजना का ब्यौरा **:**

क्र. सं.	लागत का प्रकार	प्रस्तावित निवेश (लाख रुपए में)
1.	भूमि की लागत	10800
2.	निर्माण की लागत	75000
	कुल	85800

(ख) अब तक किया गया निवेश तथा पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	मार्च 2017 तक किया गया कुल निवेश (लाख रुपए में)	पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद अर्थात 2016-17 तक किया गया वृद्धिमूलक निवेश (लाख रुपए में)
1.	भूमि की लागत	10800	शून्य
2.	सामग्री का प्रापण	25	25
	कुल	10825	25

(ग) अब तक की भौतिक प्रगति का विवरण :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि	मार्च 2017 तक समाप्ति का प्रतिशत	पिछले एक वर्ष (2016-17) के दौरान समाप्ति का प्रतिशत	शेष कार्य को पूरा करने की अंतिम समय सीमा
1.	चारदीवारी	5	0	23 जनवरी, 2018

विकासक द्वारा यथा उल्लिखित विलंब के कारण :

(i) सरकारी नीतियों में परिवर्तन
(ii) स्थानीय भूमि विवादों के निपटारे में विलंब
(iii) बजट के माध्यम से केरल सरकार से निवेश आवंटन में विलंब, चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू थी
(iv) विभिन्न विनियामक एजेंसियों से अंतिम अनुमोदन की प्रतीक्षा।

कोई उल्लेखनीय भौतिक विकास या वृद्धिमूलक निवेश नहीं हुआ है तथापि विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है।
तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) अंडूरकोणम गांव, त्रिवेंद्रम, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 15 मई, 2017 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क केरल का अनुरोध

विकासक का नाम :	मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क केरल (केरल सरकार का पूर्ण स्वामित्व)
क्षेत्र :	आईटी / आईटीईएस
लोकेशन :	अंडूरकोणम गांव, त्रिवेंद्रम, केरल

विस्तार : विकासक को औपचारिक अनुमोदन 16 मई, 2012 को प्रदान किया गया था। विकासक को 2 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 27 मार्च, 2017 तक है। विकासक ने 15 मई, 2018 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है :

(क) व्यवसाय योजना का ब्यौरा :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	प्रस्तावित निवेश (लाख रुपए में)
1.	भूमि की लागत	6600
2.	निर्माण की लागत	50000
	कुल	56600

(ख) अब तक किया गया निवेश तथा पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	मार्च 2017 तक किया गया कुल निवेश (लाख रुपए में)	पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद अर्थात 2016-17 तक किया गया वृद्धिमूलक निवेश (लाख रुपए में)
1.	भूमि की लागत	6600	शून्य
2.	सामग्री प्रापण लागत तथा ऊपरी खर्च	325	325
	कुल	6925	325

(ग) अब तक की भौतिक प्रगति का विवरण :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि	मार्च 2017 तक समाप्ति का प्रतिशत	पिछले एक वर्ष (2016-17) के दौरान समाप्ति का प्रतिशत	शेष कार्य को पूरा करने की अंतिम समय सीमा
1.	20 लाख लीटर का संप	--	100	पूरी हो गई है

विकासक द्वारा उल्लिखित विलंब के कारण :

(i) सरकारी नीतियों में परिवर्तन
(ii) स्थानीय भूमि विवादों के निपटारे में विलंब
(iii) बजट के माध्यम से केरल सरकार से निवेश आवंटन में विलंब, चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू थी
(iv) विभिन्न विनियामक एजेंसियों से अंतिम अनुमोदन की प्रतीक्षा।

कोई उल्लेखनीय भौतिक विकास या वृद्धिमूलक निवेश नहीं हुआ है तथापि विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तदनुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) सरजापुर, अनेकल तालुक, बंगलौर नगर जिला, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 15 मई, 2017 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड का अनुरोध

विकासक का नाम **:** मैसर्स विप्रो लिमिटेड

क्षेत्र **:** आईटी / आईटीईएस

लोकेशन : सरजापुर, अनेकाल तालुक, बैंगलोर अर्बन डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक

विस्तार **:** विकासक को औपचारिक अनुमोदन 16 मई, 2012 को प्रदान किया गया था। विकासक को 2 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 16 मई, 2017 तक है। विकासक ने 16 मई, 2018 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है।

विकासक ने पुन: वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है तथा विलंब के लिए निम्नलिखित कारणों का उल्लेख किया है :

वे पिछले दो वर्षों से कर्नाटक सरकार के भू-राजस्व प्राधिकरण से दस्तावेज प्राप्त करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, जैसे कि :

(i) राज्य सरकार के भू-राजस्व प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित हेक्टेयर / एकड़ के साथ प्रत्येक सर्वे नंबर के क्षेत्रफल के साथ प्रस्तावित एसईजेड पर सर्वे नंबर की सूची

(ii) बाउंड्री तथा सर्वे नंबर के साथ क्षेत्र का मैप जो राज्य सरकार के भू-राजस्व प्राधिकरण द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित हो।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है :

- विकासक ने बताया है कि उन्होंने भूमि की अधिसूचना का ब्यौरा प्राप्त होने के बाद पहले साल में चारदीवारी के निर्माण के लिए लगभग ढाई लाख रुपए का निवेश किया है।
- उन्होंने अगले चार वर्षों में लगभग 153 करोड़ रुपए का निवेश करके पहले चरण में 5 लाख वर्गफीट के कार्यालय भवन का निर्माण करने का भी प्रस्ताव किया है तथा 5वें वर्ष में और 150 करोड़ रुपए का निवेश करके दूसरे चरण में इतने ही क्षेत्रफल के कार्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा।
- 305 करोड़ रुपए के इस निवेश में भवन की डिजाइन, मास्टर प्लान तथा सांविधिक अनुमोदनों के लिए निवेश शामिल है।

हालांकि, कोई उल्लेखनीय भौतिक विकास नहीं हुई है, फिर भी विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तदनुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) कोडाती गांव, वथुर होबली, सरजापुर रोड, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 मई, 2017 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड का अनुरोध

विकासक का नाम **:** मैसर्स विप्रो लिमिटेड

क्षेत्र **:** आईटी / आईटीईएस

लोकेशन : कोडाती गांव, वरतुर होब्ली, सरजापुर रोड, बंगलौर

विस्तार **:** विकासक को औपचारिक अनुमोदन 27 मई, 2011 को प्रदान किया गया था। विकासक को 3 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 26 मई, 2017 तक है। विकासक ने 26 मई, 2018 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

विकासक ने 26 मई, 2018 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था।

विकासक ने साफ्टवेयर विकास ब्लाक के निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति दर्शाई है तथा फरवरी 2017 तक 160.3 करोड़ रुपए का निवेश किया है और 25000 लोगों को रोजगार देने के लिए 4.3 मिलियन वर्गफीट का निर्माण शुरू करने के लिए ठेका भी दिया गया है।

इसके अलावा विकासक ने सूचित किया है कि उन्होंने कुल 160.3 करोड़ रुपए का निवेश किया है तथा 27 फरवरी 2017 को आयोजित बैठक में यूनिट अनुमोदन सिमति ने विप्रो लिमिटेड एसईजेड में एक नई यूनिट स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान की थी।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(v) ओगनज गांव, दसक्रोई तालुक, अहमदाबादजिला, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 06 मई, 2017 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स कैलिका कंस्टक्शन एंड इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक का नाम **:** मैसर्स कैलिका कंस्टक्शन एंड इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड

क्षेत्र : आईटी / आईटीईएस

लोकेशन : ओगनज गांव, ताल्लुक दसक्रोई, जिला अहमदाबाद, गुजरात

विस्तार **:** विकासक को 8 बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है, जो 6 मई, 2017 तक वैध है।

बुनियादी तथ्य **:** विकासक को औपचारिक अनुमोदन 6 नवंबर 2006 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

विकासक ने वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित विकास कार्य किया है :

(i) उन्होंने एसईजेड के गेट पर इंक्यूबेशन सेंटर के लिए 12000 वर्गफीट के नए भवन का निर्माण किया है जहां आईटी / आईटीईएस यूनिटों के लिए प्लग एंड प्ले की सुविधा तैयार है।

(ii) इंक्यूबेशन सेंटर में यूनिट स्थापित करने के लिए दो यूनिटों अर्थात मैसर्स प्रमुख वेब टेक्नोलॉजी एलएलपी और मैसर्स गमैक्सो टेक्नोलैब ने उनसे संपर्क किया है।

(iii) उपर्युक्त दो यूनिटों में से एक यूनिट अर्थात मैसर्स प्रमुख वेब टेक्नोलॉजी एलएलपी ने उनके द्वारा निर्मित इंक्यूबेशन सेंटर में यूनिट स्थापित करने के लिए मंजूरी पत्र जारी करने के लिए एसईजेड के आनलाइन सिस्टम पर आवेदन किया है।

(iv) उन्होंने सेवा प्रदाता से इंटरनेट लीज लैंड की व्यवस्था की है जिसका प्रयोग यूनिटों द्वारा किया जाएगा।

(v) विकासक ने पिछली बार अवधि बढ़ाने के बाद अब तक अर्थात 7 मई 2016 तक 62.90 लाख रुपए का वृद्धिमूलक निवेश किया है तथा सह विकासक ने 105.86 लाख रुपए का निवेश किया है। पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद एसईजेड में किया गया कुल वृद्धिमूलक निवेश 1.70 करोड़ रुपए है।

(vi) अब तक भूमि पर लगभग 2 करोड़ रुपए तथा अवसंरचना के सृजन के लिए 17.70 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।

(vii) एक साल के अंदर परियोजना को पूरा करने का प्रस्ताव किया गया है।

जहां तक पूर्ण किए गए समग्र विकास कार्य का संबंध है, विकासक -

(i) चारदीवारी की ऊंचाई बढ़ाना;

(ii) आंतरिक सड़कों के निर्माण का काम पूरा हो गया है;

(iii) कस्टम स्टाफ के लिए कार्यालय परिसर तैयार है;

(iv) जलापूर्ति के लिए बोर वेल का निर्माण कर लिया है; और

(v) एसईजेड के लिए विद्युत आपूर्ति प्राप्त कर ली है।

उन्होंने केन्द्र सरकार / राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्राधिकरणों से विभिन्न अनिवार्य / सांविधिक अनुमोदन भी प्राप्त कर लिए हैं जैसे कि (1) गुजरात सरकार से प्लान का अनुमोदन (2) भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण से अनुमति और (3) स्थानीय निकाय के फायर डिपार्टमेंट से अनुमति।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश नहीं की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vi) ग्राम पल्लावरम, टंबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 **जून, 2017 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स एसएनपी इंफ्रास्ट्रक्चर एलएलपी का अनुरोध**

विकासक का नाम **:** मैसर्स एसएनपी इंफ्रास्ट्रक्चर एलएलपी

क्षेत्र **:** आईटी / आईटीईएस

लोकेशन : ग्राम पल्लावरम, तालुक टंबारम, जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु

विस्तार : विकासक को 6 बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है, जो 24 जून, 2017 तक वैध है।

बुनियादी तथ्य : विकासक को औपचारिक अनुमोदन 25 जून, 2007 को प्रदान किया गया था। विकासक को छः विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 24 जून, 2017 तक थी। विकासक ने 24 अप्रैल, 2020 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने पाया है कि विकासक एसईजेड परियोजनाओं का निष्पादन करने में बहुत विख्यात कंपनी है तथा देश के विभिन्न भागों में वे चार से अधिक एसईजेड परियोजनाएं हैंडल कर रहे हैं। इसके अलावा वित्तीय दृष्टि से उनकी स्थिति काफी मजबूत है तथा परियोजना के लिए बहुत प्रतिबद्ध हैं। साइट पर काम पूरे जोरों पर चल रहा है तथा 800 से अधिक मजदूर शिफ्ट में काम कर रहे हैं। ईपीडीपीएल के अनुमान के अनुसार निर्माण की लागत लगभग 1050 करोड़ रुपए है तथा वे इस साल अब तक 200 करोड़ रुपए से अधिक व्यय कर चुके हैं। शेष राशि का व्यय अगले तीन वर्षों में किए जाने की संभावना है।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(v) राजीव गांधी इंफोटेक पार्क, फेज 2, हिंजेवाड़ी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 जून, 2017 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स डीएलएफ इंफो पार्क (पुणे) लिमिटेड का अनुरोध

विकासक का नाम : मैसर्स डीएलएफ इनफो पार्क (पुणे) लिमिटेड

क्षेत्र : आईटी / आईटीईएस

लोकेशन : राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, फेज 2, हिंजेवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र

विस्तार : विकासक को औपचारिक अनुमोदन 27 जून, 2008 को प्रदान किया गया था। विकासक को छः विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 26 जून, 2017 तक थी। विकासक ने 26 जून, 2018 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

i. व्यवसाय योजना तथा किया गया निवेश :

भूमि, एसईजेड साइट के विकास तथा भवनों के निर्माण पर 262,03,71,309 रुपए का निवेश किया गया;

(क) भूमि पर खर्च की गई लागत - 26.64 करोड़ रुपए
(ख) भूमि के विकास पर खर्च की गई लागत - 161.89 करोड़ रुपए
(ग) अन्य बाहरी विकास पर खर्च की गई लागत - 73.49 करोड़ रुपए

कुल - 262.02 करोड़ रुपए

ii. वृद्धिमूलक निवेश :

(क) वित्तीय प्रगति

विवरण	मार्च **2016** तक किया गया निवेश (करोड़ रुपए में)	मार्च **2016** से **28** फरवरी **2017** तक किया गया निवेश (करोड़ रुपए में)	पिछली बार बढ़ाई अवधि अर्थात **26** जून, **2016** से अब तक किया गया निवेश (करोड़ रुपए में)
भूमि पर खर्च की गई लागत	26.64	26.64	0.00
भूमि के विकास पर खर्च की गई लागत	137.14	161.89	24.75
अन्य बाहरी विकास पर खर्च की गई लागत	73.49	73.49	0.00
कुल	237.27	262.02	24.75

(ख) भौतिक प्रगति **:**

ब्लॉक संख्या	निर्माण कार्य पूरा हो गया है	आंशिक कब्जा का क्षेत्रफल तथा प्रचालन करने के लिए सहमति (सीटीओ) अनुमोदित हो चुकी है	अभ्युक्तियां
	सिविल कार्य		
5	70 प्रतिशत	26,354.76 वर्गमीटर	28235.35 वर्गमीटर का कुल क्षेत्रफल 20 प्रतिशत क्षेत्र अधिभोग / पट्टा पर देने के लिए अनुमोदित किया गया है
6	38 प्रतिशत	1880.59 वर्ग मीटर	
7	36 प्रतिशत		

अन्य विकास :

1. चारदीवारी : 80 प्रतिशत पूरी हो गई है, जीआई शीट से 20 प्रतिशत चारदीवारी सुरक्षित की गई है
2. नलसाजी का कार्य : बिल्डिंग नंबर 5 में 50 प्रतिशत (कार्य प्रगति पर है)
3. आंतरिक सड़कें : 60 प्रतिशत (कार्य प्रगति पर है)
4. विद्युत आपूर्ति : डीजी सेट के माध्यम से अबाध विद्युत आपूर्ति, स्थायी विद्युत आपूर्ति के लिए एमएसईडीसीएल के पास आवेदन किया गया है (अनुमोदन की प्रक्रिया चल रही है)
5. बाहरी विद्युतीकरण : 50 प्रतिशत पूरा हो गया है।

विलंब के कारण **:**

(क) मास्टर प्लान लेआउट (भवन प्लान अनुमोदन) जून 2016 में एमआईडीसी द्वारा अनुमोदित किया गया।

(ख) नवंबर 2016 में विशेष योजना प्राधिकरण से 20 प्रतिशत अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया।

(ग) जीएसटी लागू किए जाने के कारण ग्राहकों को अंतिम रूप देने में विलंब हुआ।

(घ) जिला पंचायत से अनुमोदन के कारण अंडरपास के निर्माण में विलंब हुआ तथा इस मामले में जिला परिषद से दखल देने का अनुरोध किया गया है। एमआईडीसी से अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड, एसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ एक साल के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 77.2 : सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (2 प्रस्ताव)

(i) ग्राम मोटा लयाजा, गोधरा एवं बयाथ, तालुक मांडवी, जिला कच्छ, गुजरात में एफटीडब्ल्यूजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 12 मई 2017 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स अवाश लाजिस्टिक पार्क प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

496 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में विकासक को 13 मई, 2014 को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। विकासक को दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 12 मई, 2017 तक वैध है।

वर्ष 2016-17 के दौरान मुख्य वृद्धिमूलक कार्य इस प्रकार है :

(i) तालुक मांडवी, जिला कच्छ में एफटीडब्ल्यूजेड के लिए अधिग्रहीत निजी भूमि - 1239 एकड़।
(ii) 2016-17 में 6 एकड़ भूमि के परिवर्तन (एनए) का काम पूरा हो गया है तथा अब तक कुल 730 एकड़ के परिवर्तन का काम पूरा हो चुका है।
(iii) दिसंबर 2014 में पर्यावरण स्वीकृति के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में आवेदन किया गया है तथा तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) की स्वीकृति के लिए गुजरात तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (जीसीजेडएमए) में आवेदन किया गया है।
(iv) सी टर्टल नेस्टिंग स्टडी तथा सैंड ड्यून स्टडी पूरी हो गई हैं तथा सीजीजेडएमए को प्रस्तुत किया गया है जिसके बाद जीसीजेडएमए ने जून 2016 में पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से सीआरजेड क्लियरेंस के लिए परियोजना की सिफारिश की है।
(v) एसईजेड परियोजना के लिए सीआरजेड स्वीकृति प्रगति पर है तथा एसईजेड के लिए पर्यावरण स्वीकृति में शीघ्र मिल जाने की उम्मीद है। एसईजेड / एफटीडब्ल्यूजेड परियोजना के लिए अंतिम सीटीई 7 मार्च 2017 को प्राप्त हुआ है।
(vi) परियोजना में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीआर) की गतिविधियां शुरू की गई हैं।
(vii) वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 1386.8 लाख रुपए का निवेश किया गया है।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

तद्नुसार मामला विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) ग्राम मोटा लयाजा, गोधरा एवं बयाथ, तालुक मांडवी, जिला कच्छ, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 12 मई 2017 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स सीलैंड पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

1112 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में विकासक को 13 मई, 2014 को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। विकासक को दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 12 मई, 2017 तक वैध है।

वर्ष 2016-17 के दौरान मुख्य वृद्धिमूलक कार्य इस प्रकार है :

(i) तालुक मांडवी, जिला कच्छ में एफटीडब्ल्यूजेड के लिए अधिग्रहीत निजी भूमि - 1239 एकड़।

(ii) 2016-17 में 14.5 एकड़ भूमि के परिवर्तन (एनए) का काम पूरा हो गया है तथा अब तक कुल 927 एकड़ के परिवर्तन का काम पूरा हो चुका है।

(iii) दिसंबर 2014 में पर्यावरण स्वीकृति के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में आवेदन किया गया है तथा तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) की स्वीकृति के लिए गुजरात तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (जीसीजेडएमए) में आवेदन किया गया है।

(iv) सी टर्टल नेस्टिंग स्टडी तथा सैंड ड्यून स्टडी पूरी हो गई हैं तथा सीजीजेडएमए को प्रस्तुत किया गया है जिसके बाद जीसीजेडएमए ने जून 2016 में पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से सीआरजेड क्लियरेंस के लिए परियोजना की सिफारिश की है।

(v) एसईजेड परियोजना के लिए सीआरजेड स्वीकृति प्रगति पर है तथा एसईजेड के लिए पर्यावरण स्वीकृति में शीघ्र मिल जाने की उम्मीद है। एसईजेड / एफटीडब्ल्यूजेड परियोजना के लिए अंतिम सीटीई 7 मार्च 2017 को प्राप्त हुआ है।

(vi) परियोजना में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीआर) की गतिविधियां शुरू की गई हैं।

(vii) वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 2553.5 लाख रुपए का निवेश किया गया है।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

तद्नुसार मामला विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 77.3 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (3 प्रस्ताव)

- एसईजेड नियमावली के नियम 18 (1) के अनुसार, अनुमोदन समिति विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित या अस्वीकार कर सकती है।
- एसईजेड में यूनिटों के संबंध में मंजूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के मामले एसईजेड नियमावली के नियम 19 (4) द्वारा अभिशासित हैं।
- नियम 19 (4) यह कहता है कि एलओपी एक साल की अवधि के लिए वैध होगा। पहला परंतुक अधिक से अधिक दो साल के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकास आयुक्तों को अधिकार प्रदान करता है। दूसरा परंतुक विकास आयुक्त को एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने का अधिकार प्रदान करता है, परंतु शर्त यह है कि यूनिट की स्थापना से संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई कार्य पूरा हो गया है और उद्यमी द्वारा किसी सनदी इंजीनियर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है।
- तीसरे वर्ष के बाद (ऐसे मामलों में जहां दो तिहाई गतिविधियां पूरी नहीं हुई हैं) तथा चौथे वर्ष के बाद वैधता अवधि अनुमोदन बोर्ड द्वारा बढ़ाई जाती है।
- अनुमोदन बोर्ड एक बार में एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ा सकता है।
- अनुमोदन बोर्ड द्वारा वैधता अवधि बढ़ाने की कोई समय सीमा नहीं है।

(i) 25 फरवरी 2017 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स वोकहार्ड लिमिटेड जो शेंद्रे, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में मैसर्स वोकहार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट लिमिटेड द्वारा फर्मास्युटिकल्स के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट की यूनिट है, का अनुरोध

- एलओपी जारी किया गया : 25 फरवरी 2013 को मानव प्रयोग के लिए नेजल और इनहेलर डोज के निर्माण एवं निर्यात के लिए।
- विस्तार : विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड द्वारा 24 फरवरी 2017 तक 3 (तीन)।
- अनुरोध : एक साल तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए।

विकासक ने वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट ने अब तक निम्नलिखित निवेश किया है :

निवेश	81 करोड़ रुपए
पिछली बार वैधता अवधि बढ़ाए जाने के बाद वृद्धिमूलक निवेश :	17 करोड़ रुपए
अब तक भौतिक प्रगति	पिछली बार अवधि बढ़ाने के बाद यूनिट ने 10 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा किया है। कुल 85 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए एलओपी की अवधि बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(ii) 5 जनवरी, 2017 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स बीईएमएल लिमिटेड जो केआईएडीबी एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

- एलओपी जारी किया गया **:** एयरोस्पेस मेकेनिकल कंपोनेंट के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए 06 जनवरी 2012 को
- विस्तार **:** 6 जनवरी, 2017 तक 4 (चार)
- अनुरोध **:** वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए

  यूनिट ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

  (i) यूनिट परियोजना इसलिए लागू नहीं कर सकी क्योंकि ठेकेदार को सौंपे गए सिविल तथा पीईबी कार्य बाधित हो गए हैं तथा ठेकेदार मैसर्स यूआरसी कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मध्यस्थता की कार्यवाही का आह्वान किए जाने के कारण निर्माण कार्य रुक गया है।

  (ii) यूनिट ने भूमि, चारदीवारी के निर्माण, मशीनरी तथा अन्य सांविधिक शुल्क आदि के लिए 65.94 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने बताया है कि चौथे साल के बाद वैधता अवधि बढ़ाने का अधिकार एसईजेड नियमावली के नियम 19 (4) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन बोर्ड को है। यूनिट द्वारा किए गए 65.94 करोड़ रुपए के विशाल निवेश को ध्यान में रखते हुए न्यायालय की कार्यवाहियों को भी ध्यान में रखते हुए 6 जनवरी 2017 से छठें वर्ष (5वां विस्तार) के लिए एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए यूनिट के अनुरोध पर अनुकूल ढंग से विचार किया जा सकता है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(iii) 17 अप्रैल 2017 के बाद मंजूरी पत्र (एलओपी) **की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स धूत ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड जो शेंद्रे, 5 स्टार औद्योगिक क्षेत्र, शेंद्रे, एमआईडीसी, औरंगाबाद में मैसर्स महाराष्ट्र औद्योगिक**

विकास निगम (एमआईडीसी) द्वारा इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रानिक्स के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

- एलओपी जारी किया गया : 18 अप्रैल 2013 को इंटीग्रेटेड वायरिंग हार्नेस, आटो वायरिंग हार्नेस / केबल के लिए
- विस्तार : 17 अप्रैल, 2017 तक 3 (तीन)
- अनुरोध : एक साल तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए।

विकासक ने वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

(क) वृद्धिमूलक निवेश :

(i) वित्तीय प्रगति :

अप्रैल 2016 तक किया गया कुल निवेश (लाख रुपए में)	अप्रैल 2017 तक किया गया कुल निवेश (लाख रुपए में)	वैधता अवधि बढ़ाने के बाद अब तक (30 अप्रैल 2017) वृद्धिमूलक निवेश (लाख रुपए में)
307	462.19	154.99

(ख) भौतिक प्रगति :

निर्माण का	पूरा किए गए कार्य का प्रतिशत
सिविल कार्य (कारखाना भवन)	50 प्रतिशत

(ग) वर्तमान भौतिक प्रगति का ब्यौरा :

1. प्लाट को समतल बनाने का काम किया गया है तथा यूनिट के कारखाना भवन का निर्माण चल रहा है
2. कारखाना परिषद के अंदर और बाहर कच्ची संपर्क सड़क का निर्माण किया गया है

विलंब के कारण :

यूनिट ने एमआईडीसी से 21 अक्टूबर 2015 को संशोधित प्लाट का कब्जा प्राप्त किया क्योंकि एमआईडीसी ने पहले यूनिट को आवंटित प्लाट पर पावर स्टेशन स्थापित करने के लिए यूनिट के प्लाट को शिफ्ट कर दिया था। प्लाट को शिफ्ट करने के संबंध में एमआईडीसी की ओर से कार्रवाई की वजह से परियोजना के कार्यान्वयन में काफी विलंब हुआ है और इसके अलावा यूनिट को वित्तीय नुकसान भी हुआ है जिसकी वजह से परियोजना कार्यान्वित नहीं हो सकी।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड, एसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए एलओपी की अवधि बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

मद संख्या 77.4 : सह विकासक के लिए **अनुरोध (1 प्रस्ताव)**

(i) पल्लावरम गांव, टंबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स एसएनपी इंफ्रास्ट्रक्चर एलएलपी द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एंबेसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

11.14.7 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स एंबेसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने एसईजेड में भवनों तथा अन्य अवसंरचना सुविधाओं के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 20 मार्च, 2017 उपलब्ध कराया गया है। एसईजेड में सह विकासक द्वारा निवेश के लिए प्रस्तावित राशि 5 करोड़ रुपए है।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 77.5 : शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के मामले (11 प्रस्ताव)

भारत में व्यवसाय करने की सरलता बढ़ाने की दृष्टि से और यह कि संस्था / व्यवसाय का पुनर्गठन बहुत आम प्रथा है, 23 फरवरी 2006 को आयोजित अपनी 69वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि नियम 74ए के प्रावधान एसईजेड की ऐसी यूनिटों पर लागू नहीं होंगे जो दूसरे व्यक्ति को अपनी परिसंपत्तियों एवं देयताओं का हस्तांतरण करके एसईजेड स्कीम से बाहर नहीं निकलती हैं या निकने का विकल्प चुनती हैं तथा एसईजेड यूनिट उपर्युक्त स्थिति में सतत सरोकार के रूप में प्रचालन करना जारी रखती है। संबंधित यूनिट अनुमोदन समिति एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19(2) के तहत ऐसे अनुरोधों पर विचार कर सकती है।

जहां तक व्यवसाय अंतरण करार का संबंध है, स्पष्ट किया गया कि व्यवसाय अंतरण करार के फलस्वरूप वैश्विक स्तर पर कुछ अधिग्रहण होते हैं जो अधिग्रहणकर्ता को सतत सरोकार आधार पर भारतीय कंपनी की एसईजेड यूनिट के अंतरण में परिणत होता है। अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि स्वामित्व परिवर्तन करने वाले ऐसे मामलों पर निर्णय मामला दर मामला आधार पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा मेरिट के आधार पर लिया जाएगा।

*एसईजेड नियमावली 2006 में अनुमोदन बोर्ड के उपर्युक्त निर्णय को शामिल करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है तथा वेटिंग के लिए डीएलए को भेजा गया।

(i) दूसरी संस्था को 50 प्रतिशत से अधिक शेयरों के अंतरण के लिए मैसर्स ग्लोबल इंगलिश इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो शोलिंगनल्लूर, चेन्नई में एलकॉट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

उपर्युक्त यूनिट को अधिकृत प्रचालनों के संचालन तथा आईटी / आईटीईएस के क्षेत्र में साफ्टवेयर सेवाओं के विकास के लिए 10 अक्टूबर 2012 को एलओपी प्रदान किया गया था।

अंतरण के बाद कंपनी की शेयर होल्डिंग के पैटर्न का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

अंतरण से पूर्व शेयर होल्डिंग का पैटर्न

शेयर धारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत

मैसर्स पियर्सन एजुकेशन साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर	1,00,298	99.99 प्रतिशत
इंडिया कैन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड	2	0.01 प्रतिशत

शेयर धारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत
मैसर्स ग्लोबल इंग्लिश कॉर्पोरेशन (पूर्व में पियर्सन इंग्लिश कॉर्पोरेशन), कैलिफोर्निया	1,00,298	99.99 प्रतिशत
इंडिया कैन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड	2	0.01 प्रतिशत

यूनिट एसईजेड से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुन रही है तथा शेयर होल्डिंग में 99.99 प्रतिशत परिवर्तन है और इस प्रकार प्रस्ताव 23 फरवरी, 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 69वीं बैठक द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार यूनिट अनुमोदन समिति को सौंपे गए अधिकारों के तहत शामिल नहीं है।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड के कार्यालय ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव अग्रेषित किया है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) कंपनी की शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के लिए मैसर्स एपीरियो इंडिया क्लाउड सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड जो जयपुर, राजस्थान में महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

उपर्युक्त यूनिट को अधिकृत प्रचालनों के संचालन तथा आईटी / आईटीईएस के क्षेत्र में साफ्टवेयर सेवाओं के विकास के लिए 09 सितंबर 2013 को एलओपी प्रदान किया गया था तथा यह 18 दिसंबर, 2018 तक वैध है।

09 सितंबर, 2013 (शेयर होल्डिंग में परिवर्तन से पूर्व) तक की स्थिति के अनुसार शेयर होल्डिंग का पैटर्न

क्र. सं.	शेयर धारक का नाम	धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत
1.	एप्पिरियो इंक	799999	99.99 प्रतिशत
2.	एप्पिरियो कंपनी लिमिटेड	1	0.01 प्रतिशत
	कुल	800000	100.00 प्रतिशत

22 नवंबर, 2016 (शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के बाद) तक की स्थिति के अनुसार शेयर होल्डिंग का पैटर्न

क्र. सं.	शेयर धारक का नाम	धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत
1.	विप्रो लिमिटेड	799999	99.99 प्रतिशत
2.	भानुमूर्ति बीएम (विप्रो लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से)	1	0.01 प्रतिशत
	कुल	800000	100.00 प्रतिशत

यूनिट एसईजेड से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुन रही है तथा शेयर होल्डिंग में 100 प्रतिशत परिवर्तन है और इस प्रकार प्रस्ताव 23 फरवरी, 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 69वीं बैठक द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार यूनिट अनुमोदन समिति को सौंपे गए अधिकारों के तहत शामिल नहीं है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव की सिफारिश की है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) शेयरों के 100 प्रतिशत अंतरण के लिए मैसर्स स्पार्कनोवा प्राइवेट लिमिटेड जो अट्टीप्रा गांव, तिरुवनंतपुरम में इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क्स एसईजेड 3 की यूनिट है, का अनुरोध

उपर्युक्त यूनिट को ग्राहकों के लिए उद्यमवार साफ्टवेयर की डिजाइनिंग, विकास एवं तैनाती के लिए 24 अक्टूबर 2014 को एलओपी प्रदान किया गया था।

यूनिट ने शेयरों के अंतरण के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है क्योंकि मौजूदा निवेशकों ने त्यागपत्र देने का प्रस्ताव किया है तथा 100 प्रतिशत शेयर का अधिग्रहण करने वाली कंपनी के साथ नए शेयर धारकों का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	मौजूदा शेयर धारक का नाम	शेयर होल्डिंग का वर्तमान पैटर्न **(13 मार्च, 2017 को अंतरण से पूर्व)**		प्रस्तावित शेयर धारकों का नाम	शेयर होल्डिंग का प्रस्तावित पैटर्न	
		10 रुपए प्रत्येक के शेयरों की संख्या	प्रतिशत		**10** रुपए प्रत्येक के शेयरों की संख्या	प्रतिशत
1.	सलीम	2667	26.67 प्रतिशत	रतीश रविंद्रन	500	5.00 प्रतिशत
2.	शीजा सलीम	2667	26.67 प्रतिशत	जे सुंदरपंडियन	7000	70.00 प्रतिशत
3.	साजन इब्राहिम सलीम	2666	26.66 प्रतिशत	नल्लामल रामासामी	2500	25.00 प्रतिशत
4.	विनीत गोपीनाथ नायर	2000	20.00 प्रतिशत			
	कुल	10000	100 प्रतिशत		10000	100 प्रतिशत

यूनिट एसईजेड से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुन रही है तथा शेयर होल्डिंग में 100 प्रतिशत परिवर्तन है और इस प्रकार प्रस्ताव 23 फरवरी, 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 69वीं बैठक द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार यूनिट अनुमोदन समिति को सौंपे गए अधिकारों के तहत शामिल नहीं है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव की सिफारिश की है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) शेयरों के 100 प्रतिशत अंतरण के लिए मैसर्स यूएस टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जो कुझुविला, तिरुवनंतपुरम, केरल में मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क एसईजेड-2 द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

मैसर्स यूएस टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को 22 जून, 2007 को सह विकासक का दर्जा प्रदान किया गया था।

अब सह विकासक ने मैसर्स यूएसटी द्वारा प्रबंधित कंपनी के ग्रुप के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने व्यवसाय के प्रचालनों को सुदृढ़ करने के लिए शेयरों के 100 प्रतिशत अंतरण के अपने प्रस्ताव के लिए अनुमति प्राप्त की है। यूएसटीआईपीएल का वर्तमान शेयर होल्डिंग पैटर्न तथा प्रस्तावित शेयर होल्डिंग पैटर्न नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	शेयर धारक	शेयर होल्डिंग का मौजूदा पैटर्न :		शेयर होल्डिंग का प्रस्तावित पैटर्न	
		शेयरों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
1.	यूएसटी ग्लोबल इनवेस्टमेंट (मारीशस) प्राइवेट लिमिटेड	5,321,752	100 प्रतिशत	--	--
2.	यूएसटी ग्लोबल सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड	--	--	5,321,752	100 प्रतिशत
	कुल	5,321,752	100 प्रतिशत	5,321,752	100 प्रतिशत

यूनिट एसईजेड से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुन रही है तथा शेयर होल्डिंग में 100 प्रतिशत परिवर्तन है और इस प्रकार प्रस्ताव 23 फरवरी, 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 69वीं बैठक द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार यूनिट अनुमोदन समिति को सौंपे गए अधिकारों के तहत शामिल नहीं है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव की सिफारिश की है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(v) शेयरों के 100 प्रतिशत अंतरण के लिए मैसर्स यूएसटी ग्लोबल इंफार्मेशन टेक्नोलॉली पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड अट्टिप्रा जो गांव, कुझुविला, तिरुवनंतपुरम, केरल में मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क - केरल द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

मैसर्स यूएसटी ग्लोबल इंफार्मेशन टेक्नोलॉली पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड (यूएसटीजीपीएल) को 22 दिसंबर, 2009 को सह विकासक का दर्जा प्रदान किया गया था।

अब सह विकासक ने पत्र दिनांक 22 फरवरी 2017 के माध्यम से मैसर्स यूएसटी द्वारा प्रबंधित कंपनी के ग्रुप के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने व्यवसाय के प्रचालनों को सुदृढ़ करने के लिए शेयरों के 100 प्रतिशत अंतरण के अपने प्रस्ताव के लिए अनुमति प्राप्त की है। यूएसटीआईपीएल का वर्तमान शेयर होल्डिंग पैटर्न तथा प्रस्तावित शेयर होल्डिंग पैटर्न नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	शेयर धारक	शेयर होल्डिंग का मौजूदा पैटर्न :		शेयर होल्डिंग का प्रस्तावित पैटर्न	
		शेयरों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
1.	यूएसटी ग्लोबल सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड	1,034,110	99.04 प्रतिशत	--	--

2.	यूएसटी ग्लोबल इनवेस्टमेंट (मारीशस) प्राइवेट लिमिटेड	--	--	1,034,110	99.04 प्रतिशत
3.	यूएस टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	10,000	0.96 प्रतिशत	10,000	0.96 प्रतिशत
	कुल	1,044,110	100 प्रतिशत	1,044,110	100 प्रतिशत

यूनिट एसईजेड से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुन रही है तथा शेयर होल्डिंग में 100 प्रतिशत परिवर्तन है और इस प्रकार प्रस्ताव 23 फरवरी, 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 69वीं बैठक द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार यूनिट अनुमोदन समिति को सौंपे गए अधिकारों के तहत शामिल नहीं है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव की सिफारिश की है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vi) मैसर्स कैपजेमिनी टेकनोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के नाम में परिवर्तन तथा कंपनी की शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के लिए केएएसईजेड के क्षेत्राधिकार में मैसर्स आईगेट ग्लोबल सोल्यूशंस लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स आईगेट ग्लोबल सोल्यूशंस लिमिटेड जो मैसर्स अक्वालाइन प्रापर्टीज लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, को मैसर्स पाटनी कंप्यूटर सिस्टम्स लिमिटेड के नाम से **27** अगस्त **2010** को एलओए प्रदान किया गया है जो **28** अगस्त **2020** तक वैध है।

आवेदक अर्थात मैसर्स आईगेट ग्लोबल सोल्यूशंस लिमिटेड की शेयर होल्डिंग का पैटर्न दो कंपनियों अर्थात मैसर्स आईगेट ग्लोबल सोल्यूशंस लिमिटेड और मैसर्स कैपजेमिनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के समामेलन से पूर्व तथा मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक **29** सितंबर **2016** के माध्यम से अनुमोदित समामेलन योजना के बाद इस प्रकार है **:**

क्र. सं.	**शेयर धारक का नाम**	28 **अक्टूबर** 2016 **तक की स्थिति के अनुसार नाम में परिवर्तन से पूर्व शेयर होल्डिंग का प्रतिशत**	31 **दिसंबर**, 2016 **तक की स्थिति के अनुसार नाम में परिवर्तन के बाद शेयर होल्डिंग का प्रतिशत**
1.	पैन एशिया आईगेट सोल्यूशंस	**50.35** प्रतिशत	**23.10** प्रतिशत
2.	आईगेट कॉर्पोरेशन	**47.05** प्रतिशत	**21.58** प्रतिशत
3.	आईगेट टेक्नोलॉजी इंक	**2.09** प्रतिाशत	**0.96** प्रतिशत
4.	कैपजेमिनी अमेरिका इंक	**--**	**42.14** प्रतिशत
5.	कैपजेमिनी एसए	**--**	**11.99** प्रतिशत
6.	निगमित संस्थाएं	**0.02** प्रतिशत	**0.01** प्रतिशत
7.	एचयूएफ	**0.02** प्रतिशत	**0.01** प्रतिशत
8.	एनबीएफसी	**0.01** प्रतिशत	**0.01** प्रतिशत
9.	अनिवासी भारतीय	**0.01** प्रतिशत	**0.01** प्रतिशत
10.	कर्मचारी	**0** प्रतिशत	**0** प्रतिशत
11.	भारतीय वित्तीय संस्थाएं	**0** प्रतिशत	**0** प्रतिशत
12.	निवासी व्यक्ति	**0.45** प्रतिशत	**0.21** प्रतिशत
	कुल शेयर पूंजी	**2,71,28,234** रुपए	**5,91,39,500** रुपए

यह भी बताया गया है कि मैसर्स आईगेट ग्लोबल सोल्यूशंस लिमिटेड का मैसर्स कैपजेमिनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ विलय हो गया है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि कंपनी के नाम में परिवर्तन के बारे में आरबीआई, नई दिल्ली को पत्र दिनांक **22** दिसंबर **2016** के माध्यम से सूचित किया गया था तथा आरबीआई ने पत्र दिनांक **30** दिसंबर **2016** के माध्यम से आवेदक को आरबीआई, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में ऐसा आवेदन दाखिल करने के लिए सूचित किया है क्योंकि आवेदक कंपनी पुणे में पंजीकृत है।

आवेदक ने समामेलन की योजना के साथ **2016** के निदेश संख्या **202** और **2013** के लिए कंपनी के समन के सिलसिले में **2016** की कंपनी योजना याचिका संख्या **369** और **370** में मुंबई उच्च न्यायलय के आदेश दिनांक **29** सितंबर **2016** की प्रति प्रस्तुत की है। उक्त आदेश के अनुसार जुलाई **2015** में कैपजेमिनी नार्थ अमेरिका इंक द्वारा आईगेट कॉर्पोरेशन का अधिग्रहण किया गया (वैश्विक अधिग्रहण)। समान ग्रुप की कंपनियों के वैश्विक अधिग्रहण के अनुसरण में। पूरी दुनिया में विधिक संस्थाओं की संख्या में कटौती के माध्यम से प्रचालन संबंधी दक्षता हासिल करने तथा लागत को न्यूनतम करने के लिए कैपजेमिनी ग्रुप की संस्थाओं को संयोजित करने के लिए कैपजेमिनी ग्रुप ने वैश्विक संस्था कटौती कार्यक्रम (तरलीकरण, विलय आदि के माध्यम से भारत और विदेशों में) अपनाया है। उपर्युक्त व्यवस्था के अंग के रूप में मैसर्स कैपजेमिनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मैसर्स आईगेट ग्लोबल सोल्यूशंस लिमिटेड के साथ समामेलन किया गया।

इसके अलावा, समामेलन की योजना के अंग के रूप में **16** दिसंबर **2016** से, तिथि जब कंपनी रजिस्ट्रार ने अनुमोदन प्रदान किया है, कंपनी का नाम आईगेट ग्लोबल सोल्यूशंस लिमिटेड से बदलकर मैसर्स कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड किया गया।

यूनिट एसईजेड से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुन रही है तथा शेयर होल्डिंग में **50** प्रतिशत से अधिक परिवर्तन है और इस प्रकार प्रस्ताव **23** फरवरी, **2016** को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की **69**वीं बैठक द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार यूनिट अनुमोदन समिति को सौंपे गए अधिकारों के तहत शामिल नहीं है।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vii) नाम बदलकर मैसर्स कैपजेमिनी टेकनोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड करने तथा कंपनी की शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के लिए मैसर्स आईगेट ग्लोबल सोल्यूशंस लिमिटेड जो एनएसईजेड के क्षेत्राधिकार में मैसर्स सीव्यू डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स आईगेट ग्लोबल सोल्यूशंस लिमिटेड को आईटीईएस सहित कंप्यूटर साफ्टवेयर विकास सेवा जैसे कि बैक आफिस प्रचालन, कॉल सेंटर तथा उत्पाद इंजीनियरिंग सेवा के लिए **1** मई **2014** को एलओए प्रदान किया गया है। यूनिट ने **31** अक्टूबर, **2014** को अपना उत्पादन शुरू किया था। एलओए **30** अक्टूबर, **2019** तक वैध है।

नाम में परिवर्तन से पूर्व और परिवर्तन के बाद कंपनी की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	**शेयर धारक का नाम**	**28 अक्टूबर 2016 को नाम में परिवर्तन से पूर्व शेयर होल्डिंग का प्रतिशत (नाम में परिवर्तन से पूर्व कंपनी के साथ कैपजेमिनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का पूर्व विलय)**	**30 दिसंबर 2016 तक की स्थिति के अनुसार मैसर्स कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में आईगेट ग्लोबल सोल्यूशंस**

			लिमिटेड) की शेयर होल्डिंग के पैटर्न का प्रतिशत
1.	**पैन एशिया आईगेट सोल्यूशंस**	50.35 **प्रतिशत**	23.10 **प्रतिशत**
2.	**आईगेट कॉर्पोरेशन**	47.05 **प्रतिशत**	21.58 **प्रतिशत**
3.	**आईगेट टेक्नोलॉजी इंक**	2.09 **प्रतिाशत**	0.96 **प्रतिशत**
4.	**कैपजेमिनी अमेरिका इंक**	--	**42.14 प्रतिशत**
5.	**कैपजेमिनी एसए**	--	**11.99 प्रतिशत**
6.	**निगमित संस्थाएं**	0.02 **प्रतिशत**	0.01 **प्रतिशत**
7.	**एचयूएफ**	0.02 **प्रतिशत**	0.01 **प्रतिशत**
8.	**एनबीएफसी**	0.00 **प्रतिशत**	0.00 **प्रतिशत**
9.	**अनिवासी भारतीय**	0.01 **प्रतिशत**	0.01 **प्रतिशत**
10.	**कर्मचारी**	0.00 **प्रतिशत**	0.00 **प्रतिशत**
11.	**भारतीय वित्तीय संस्थाएं**	0.00 **प्रतिशत**	0.00 **प्रतिशत**
12.	**निवासी व्यक्ति**	0.45 **प्रतिशत**	0.21 **प्रतिशत**
	कुल	100.00 **प्रतिशत**	100.00 **प्रतिशत**

यूनिट एसईजेड से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुन रही है तथा शेयर होल्डिंग में 54.13 प्रतिशत परिवर्तन है और इस प्रकार प्रस्ताव 23 फरवरी, 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 69वीं बैठक द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार यूनिट अनुमोदन समिति को सौंपे गए अधिकारों के तहत शामिल नहीं है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(viii) 20 मार्च 2017 को माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, हैदराबाद द्वारा अनुमोदित समामेलन की योजना के अनुसरण में मैसर्स आप्टम ग्लोबल सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ विलय के आलोक में उद्यमी में परिवर्तन तथा निम्नलिखित कंपनियों की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में 100 **प्रतिशत परिवर्तन के लिए मैसर्स यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप इनफार्मेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट** 1 **और यूनिट** 2) **जो नोएडा में मैसर्स आक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड की यूनिटें हैं, का अनुरोध**

(i) मैसर्स आक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड में 2 मई 2012 को यूनिट 1 को एलओपी प्रदान किया गया था

(ii) मैसर्स आक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड में 21 सितंबर, 2015 को यूनिट 2 को एलओपी प्रदान किया गया था

मैसर्स आप्टम ग्लोबल सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की शेयर होल्डिंग का पैटर्न (समामेलन के बाद) जो सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित है। पहले और बाद में शेयर होल्डिंग के पैटर्न का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

6 जनवरी **2017** को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित मैसर्स यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप इनफार्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की शेयर होल्डिंग का पैटर्न	**12** अप्रैल **2017** तक की स्थिति के अनुसार मैसर्स आप्टम ग्लोबल सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की शेयर होल्डिंग का पैटर्न (समामेलन के बाद)

(समामेलन से पूर्व)					
शेयर धारक का नाम	शेयरों की संख्या	शेयर का प्रतिशत	शेयर धारक का नाम	शेयरों की संख्या	शेयर का प्रतिशत
आप्टम ग्लोबल सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (1,00,00,000 शेयरों में से 10 शेयर आप्टम ग्लोबल सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नामिती के रूप में यूनाइटेड हेल्थ इंटरनेशनल इंक द्वारा धारित किए गए हैं)	1,00,00,000	100 प्रतिशत	आप्टम ग्लोबल सोल्यूशंस इंटरनेशनल बीवी (1872276 शेयरों में से 10 शेयर आप्टम ग्लोबल सोल्यूशंस इंटरनेशनल बीवी के नामिती के रूप में यूनाइटेड हेल्थ इंटरनेशनल इंक द्वारा धारित किए गए हैं)	1872276	100 प्रतिशत

यूनिट एसईजेड से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुन रही है तथा शेयर होल्डिंग में 100 प्रतिशत परिवर्तन है और इस प्रकार प्रस्ताव 23 फरवरी, 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 69वीं बैठक द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार यूनिट अनुमोदन समिति को सौंपे गए अधिकारों के तहत शामिल नहीं है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ix) नाम बदलकर मैसर्स लिक्विड हब एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड करने तथा कंपनी की शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के लिए एनएसईजेड के क्षेत्राधिकार में मैसर्स अनिक टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट 1) **का अनुरोध**

मैसर्स अनिक टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (**यूनिट 1**) जो ग्राम सिलोखेड़ा, सेक्टर **30**, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स डीएलफ लिमिटेड के क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, को **8** अगस्त **2011** को एलओए प्रदान किया गया है जो **9** मई **2017** तक वैध है। यूनिट ने **10** मई, **2012** को प्रचालन शुरू किया था।

20 जून, 2011 तक की स्थिति के अनुसार शेयर होल्डिंग का पैटर्न

शेयर धारक का नाम	**धारित इक्विटी शेयरों की संख्या**	**शेयर का प्रतिशत**
विकास श्रीवास्तव	35,51,895	9.94 **प्रतिशत**
राहुल सहगल	1,70,77,047	47.80 **प्रतिशत**
क्वाट्रो बीपीओ सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	1,42,07,598	39.76 **प्रतिशत**
विनीत मल्होत्रा	3,71,025	1.04 **प्रतिशत**
सुरेश टी राजन	3,71,035	1.04 **प्रतिशत**
राजन मोहनलाल कपूर	1,50,000	0.42 **प्रतिशत**
कुल	3,57,28,610	100.00 **प्रतिशत**

15 फरवरी, 2017 तक की स्थिति के अनुसार शेयर होल्डिंग का पैटर्न

शेयर धारक का नाम	**धारित इक्विटी शेयरों की**	**शेयर का प्रतिशत**

	संख्या	
लिक्विड हब इंक	2,89,81,623	77.60 **प्रतिशत**
राहुल सहगल	83,64,062	22.40 **प्रतिशत**
कुल	3,73,45,685	100.00 **प्रतिशत**

यूनिट एसईजेड से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुन रही है तथा प्रमोटर एवं शेयर होल्डिंग में 50 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन है और इस प्रकार प्रस्ताव 23 फरवरी, 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 69वीं बैठक द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार यूनिट अनुमोदन समिति को सौंपे गए अधिकारों के तहत शामिल नहीं है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव अग्रेषित किया है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(x) नाम बदलकर मैसर्स लिक्विड हब एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड करने तथा कंपनी की शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के लिए एनएसईजेड के क्षेत्राधिकार में मैसर्स अनिक टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट 2) **का अनुरोध**

मैसर्स अनिक टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड **(**यूनिट **2)** जो ग्राम सिलोखेड़ा**,** सेक्टर **30,** गुड़गांव**,** हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स डीएलफ लिमिटेड के क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है**,** को **18** फरवरी **2015** को एलओए प्रदान किया गया है जो **24** मई **2020** तक वैध है। यूनिट ने **25** मई**, 2015** को प्रचालन शुरू किया था।

31 **दिसंबर**, 2014 **तक की स्थिति के अनुसार शेयर होल्डिंग का पैटर्न** :

शेयर धारक का नाम	**धारित इक्विटी शेयरों की संख्या**	**शेयर का प्रतिशत**
विकास श्रीवास्तव	35,51,895	9.55 **प्रतिशत**
राहुल सहगल	1,95,61,588	52.61 **प्रतिशत**
आशीष धवन	62,15,824	16.72 **प्रतिशत**
विनय मित्तल	17,52,992	4.71 **प्रतिशत**
विकास श्रीवास्तव (**एचयूएफ**)	42,93,970	11.55 **प्रतिशत**
राजन मोहनलाल कपूर	32,935	0.88 **प्रतिशत**
अशोक चड्ढ़ा	4,95,000	1.33 **प्रतिशत**
उदय श्रीवास्तव	7,11,500	1.91 **प्रतिशत**
प्रतीक कृष्ण चड्ढ़ा	32,935	0.09 **प्रतिशत**
अशोक चड्ढ़ा (**एचयूएफ**)	30,453	0.08 **प्रतिशत**
कुमारी डेबी चड्ढ़ा	30,710	0.08 **प्रतिशत**
दीपक कोहली	1,77,893	0.48 **प्रतिशत**
कुल	3,71,82,553	100.00 **प्रतिशत**

15 फरवरी, 2017 तक की स्थिति के अनुसार शेयर होल्डिंग का पैटर्न :

शेयर धारक का नाम	धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयर का प्रतिशत
लिक्विड हब इंक	2,89,81,623	77.60 **प्रतिशत**
राहुल सहगल	83,64,062	22.40 **प्रतिशत**
कुल	3,73,45,685	100.00 **प्रतिशत**

यूनिट एसईजेड से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुन रही है तथा प्रमोटर एवं शेयर होल्डिंग में 50 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन है और इस प्रकार प्रस्ताव 23 फरवरी, 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 69वीं बैठक द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार यूनिट अनुमोदन समिति को सौंपे गए अधिकारों के तहत शामिल नहीं है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव अग्रेषित किया है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(xi) निम्नलिखित यूनिटों की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स बीए कांटिनम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (**यूनिट** 1 **और यूनिट** 2) **जो एनएसईजेड के क्षेत्राधिकार में ग्राम डूंडाहेरा**, **सेक्टर** 21, **गुड़गांव**, **हरियाणा में मैसर्स गुड़गांव इनफोस्पेस लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड की यूनिट है**, **का अनुरोध**

(i) मैसर्स गुड़गांव इनफोस्पेस लिमिटेड में 20 दिसंबर 2007 को यूनिट 1 को एलओपी प्रदान किया गया था

(ii) मैसर्स गुड़गांव इनफोस्पेस लिमिटेड में 04 अक्टूबर 2012 को यूनिट 2 को एलओपी प्रदान किया गया था

यूनिट ने अपने पत्र दिनांक 9 मार्च 2017 के माध्यम से 23 दिसंबर 2015 और 30 दिसंबर 2015 से कंपनी के शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तनों का ब्यौरा प्रस्तुत किया है जो कंपनी सचिव द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित है, जो नीचे दिया गया है :

पुराने शेयर धारक			नए शेयर धारक		
शेयर धारक का नाम	शेयरों की संख्या	शेयर का प्रतिशत	शेयर धारक का नाम	शेयरों की संख्या	शेयर का प्रतिशत
बीए कंटिनम मारीशस होल्डिंग लिमिटेड	7,27,57,498	99.9999972 प्रतिशत	बीएसीएनए सिंगापुर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड	7,27,57,498	99.9999972 प्रतिशत
बीए कंटिनम सिंगापुर इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड	2	0.0000027 प्रतिशत	बीएसी नार्थ अमेरिका होल्डिंग कंपनी	2	0.0000027 प्रतिशत

यूनिट एसईजेड से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुन रही है तथा शेयर होल्डिंग में 100 प्रतिशत परिवर्तन है और इस प्रकार प्रस्ताव 23 फरवरी, 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 69वीं बैठक द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार यूनिट अनुमोदन समिति को सौंपे गए अधिकारों के तहत शामिल नहीं है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 77.6 : विविध मामले (5 प्रस्ताव)

(i) एसईजेड में मुक्त व्यापार एवं माल गोदाम क्षेत्र की घोषणा के लिए मैसर्स एएमआरएल हाइटेक सिटी लिमिटेड जो ननगूनेरी, तिरुनेवेली जिला, तमिलनाडु में बहु उत्पाद एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

1019.22.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स एएमआरएल हाइटेक सिटी लिमिटेड ने 42.73 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को मुक्त व्यापार एवं मालगोदाम क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड) के रूप में घोषित करने के लिए अनुरोध किया है।

एफटीडब्ल्यूजेड के रूप में घोषित करने के लिए प्रस्तावित 42.73 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में से 10.49 हेक्टेयर इस समय मैसर्स आश्रय लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो एएमआरएल हाइटेक सिटी लिमिटेड में सह विकासक है, को पट्टा पर दिया गया है, जिनको माल गोदाम की सुविधाओं तथा एसईजेड में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन सहित औद्योगिक यूनिटों को एकीकृत लाजिस्टिक्स समाधान प्रदान करने के लिए अनुमोदन बोर्ड द्वारा सह विकासक के रूप में अनुमोदित किया जा चुका है।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने अनुरोध किया है कि विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव को रखा जाए।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) सर्वे नंबर 53/**पैकी/भाग, गचिबाउली गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में** 0.8 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स फिनिक्स आईटी सिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

मैसर्स फिनिक्स आईटी सिटी प्राइवेट लिमिटेड को 1.78 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 31 मार्च, 2017 को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था।

अब विकासक ने उपर्युक्त एसईजेड में 0.8 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्रफल के लिए अनुरोध किया है जो मौजूदा क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत से अधिक है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 1.78 हेक्टेयर हो जाएगा।

उल्लेखनीय है कि विकास करार के आधार पर एसईजेड का विकास किया जा रहा है। विकास करार के अनुसार भूस्वामी 55000 वर्गफीट प्रति एकड़ के निर्मित क्षेत्र के लिए हकदार हैं।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) 64.48.23 हेक्टेयर के क्षेत्रफल की वृद्धि के लिए मैसर्स जायडस इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जो मटोडा, सानंद, अहमदाबाद, गुजरात में फर्मास्युटिकल उत्पादों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित कर रहा है, का अनुरोध

मैसर्स जासडस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड 50.28.85 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित हो गया है।

अब विकासक ने उपर्युक्त एसईजेड में 64.48.23 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्रफल के लिए अनुरोध किया है जो मौजूदा क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत से अधिक है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 114.770800 हेक्टेयर हो जाएगा। गुजरात राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकास आयुक्त, केएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) मैसर्स आईगेट ग्लोबल सोल्यूशंस लिमिटेड के साथ मैसर्स कैपजेमिनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के समामेलन और मैसर्स कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के नाम / संरचना में परिवर्तन के लिए एसईईपीजेड के क्षेत्राधिकार के अधीन मैसर्स आईगेट ग्लोबल सोल्यूशंस लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स आईगेट ग्लोबल सोल्यूशंस लिमिटेड (एसईजेड) को प्लाट नंबर आईटी **3,** आईटी **4,** एयरोली नालेज पार्क, टीटीसी औद्योगिक क्षेत्र, एमआईडीसी, एयरोली, नवी मुंबई में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के रूप में **14** फरवरी **2014** को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया है।

कार्यान्वयन एजेंसी में परिवर्तन से पहले और परिवर्तन के बाद शेयर होल्डिंग का पैटर्न :

क्र. सं.	**शेयर धारक का नाम**	**28 अक्टूबर 2016 तक की स्थिति के अनुसार आईगेट (ए) (176 / सी) के नाम में परिवर्तन से पूर्व शेयर होल्डिंग का प्रतिशत**		**30 दिसंबर, 2016 तक की स्थिति के अनुसार कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी (बी) (171 / सी) के नाम में परिवर्तन के बाद शेयर होल्डिंग का प्रतिशत**		**परिवर्तन का प्रतिशत (बी-ए)**
		शेयर धारकों की संख्या	**इक्विटी का प्रतिशत**	**शेयर धारकों की संख्या**	**इक्विटी का प्रतिशत**	
1.	पैन एशिया आईगेट सोल्यूशंस	1	50.35	1	23.10	-27.25
2.	आईगेट कॉर्पोरेशन	2	47.05	2	21.58	-25.47
3.	आईगेट टेक्नोलॉजी इंक	1	2.09	1	0.96	-1.13
4.	कैपजेमिनी अमेरिका इंक	--	--	1	42.14	+42.14
5.	कैपजेमिनी एसए	--	--	1	11.99	+11.99
6.	निगमित संस्थाएं	132	0.02	133	0.01	+1
7.	एचयूएफ	211	0.02	211	0.01	0
8.	एनबीएफसी	1	0.00	1	0.00	0
9.	अनिवासी भारतीय	234	0.01	232	0.01	-2
10.	कर्मचारी	1	0.00	1	0.00	0
11.	भारतीय वित्तीय संस्थाएं	1	0.00	1	0.00	0
12.	निवासी व्यक्ति	12,525	0.45	12,526	0.21	-24
	शेयर होल्डिंग में					54.13%

	कुल परिवर्तन					

यूनिट एसईजेड से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुन रही है तथा शेयर होल्डिंग में 54.13 प्रतिशत परिवर्तन है और इस प्रकार प्रस्ताव 23 फरवरी, 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 69वीं बैठक द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार यूनिट अनुमोदन समिति को सौंपे गए अधिकारों के तहत शामिल नहीं है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(v) अतिरिक्त अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स अर्शिया रेल साइडिंग एंड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एआरएसएल) जो ग्राम साईं, तालुक पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में मैसर्स अर्शिया लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे एफटीडब्ल्यूजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने बताया है कि मैसर्स अर्शिया एफटीडब्ल्यूजेड को भारत के पहले एफटीडब्ल्यूजेड के रूप में विकसित किया जा रहा है तथा यह 141 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला है तथा इस समय क्रियाशील है। मैसर्स अर्शिया रेल साइडिंग एंड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एआरएसएल) को एसईजेड में वेयरहाउस के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए 5 दिसंबर 2016 को सह विकासक का दर्जा प्रदान किया गया था। बताया गया है कि 8 मार्च 2017 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 75वीं बैठक में शेयर होल्डिंग में परिवर्तन अर्थात मैसर्स असेंडास फंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 100 प्रतिशत शेयर होल्डिंग की बिक्री / हस्तांतरण के लिए सह विकासक को पूर्व अनुमोदन प्रदान किया गया। शेयरों का अंतरण अभी तक नहीं हुआ है। इस बीच सह विकासक पट्टा पर 6 माल गोदाम लेने के लिए नए प्रस्ताव के साथ आया है।

सह विकासक ने अपने सी-7 आवेदन पत्र में बताया है कि सह विकासक प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए विकासक से उक्त भूमि पर निर्मित माल गोदामों के साथ उक्त भूमि लेगा। यह पट्टा 30 साल के लिए होगा। इस व्यवस्था से उप पट्टा पर लिए गए माल गोदामों का स्वतंत्र रूप से प्रचालन एवं अनुरक्षण करने तथा अन्य यूनिटों / संस्थाओं को अनुमोदित सेवाएं प्रदान करने में सह विकासक को मदद मिलेगी।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने बताया है कि निम्नलिखित विशिष्ट मुद्दे पर अनुमोदन बोर्ड के निर्णय की आवश्यकता है :

मैसर्स अर्शिया रेल साइडिंग इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (सह विकासक) ने एफडीआई के रूप में निवेशक (निवेशकों) द्वारा 434 करोड़ रुपए तथा इससे अधिक के निवेश के विरुद्ध लगभग 25 एकड़ की भूमि में स्थित मौजूदा 6 माल गोदामों को पट्टा पर लेने के लिए अतिरिक्त अनुमोदन प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अधिकृत प्रचालन मंजूर करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 77.7 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील (2 अपीलें)

(i) यूनिट अनुमोदन समिति, एनएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 23 मार्च, 2017 के विरुद्ध मैसर्स जगत जेम्स एंड ज्वैलरी जो एनएसईजेड की यूनिट है, की अपील

मैसर्स जगत जेम्स एंड ज्वैलरी को स्टडेड और प्लेन गोल्ड ज्वैलरी के निर्माण एवं निर्यात के लिए 10 मार्च 2000 को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट ने अपने पहले कंसाइनमेंट का निर्यात करके 30 मार्च, 2000 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यूनिट का एलओए 3 नवंबर 2016 तक वैध था।

पाया गया है कि अपील यूनिट अनुमोदन समिति / विकास आयुक्त, एनएसईजेड के आदेश दिनांक 23 मार्च 2017 के विरुद्ध है, जिसमें आवेदक को सूचित किया गया है कि यूनिट का एलओए 3 नवंबर 2016 को इसकी वैधता अवधि समाप्त होने की तिथि से कालातीत हो गया है और परिणामत: एलओए की वैधता के साथ कोटर्मिनस होने के कारण पट्टा अधिकार भी 3 नवंबर 2016 को कालातीत हो गया है।

आदेश दिनांक 23 मार्च 2017 से यह नोट किया गया है कि यूनिट 2010-11 से निष्क्रिय पड़ी हुई है और 4 नवंबर 2015 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन समिति ने 6 माह के लिए 3 मई 2016 तक यूनिट के एलओए को इस शर्त के साथ नवीकृत किया था कि परिसंपत्तियों और देयताओं के अंतरण के लिए किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा तथा यूनिट इस अवधि के अंदर अपना व्यवसाय फिर से शुरू करेगी।

यह भी नोट किया गया है कि 4 मई 2016 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन समिति ने यूनिट को आखिरी अवसर प्रदान किया तथा पुन: अगले 6 माह के लिए अर्थात 3 नवंबर 2016 तक एलओए की वैधता अवधि बढ़ाई और यूनिट को निदेश दिया कि वे इस कार्यालय को सूचित करते हुए बढ़ाई गई अवधि के अंदर निर्यात की गतिविधियां फिर से शुरू करें। अनुमोदन समिति ने यह भी निर्णय लिया कि यदि यूनिट बढ़ाई गई अवधि के अंदर प्रचालन पुन: शुरू करने में असमर्थ रहती है तो कोई और विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा तथा यूनिट एनएसईजेड प्राधिकरण को प्लाट सरेंडर करेगी। अनुमोदन समिति को यह भी सूचित किया गया कि यूनिट ने न तो निर्यात की गतिविधियां फिर से शुरू होने के बारे में इस कार्यालय को सूचित किया है और न ही एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध किया है। यह भी सूचित किया गया कि इस समय प्लाट नंबर 129 जी/33, 34 और 35, एनएसईजेड के संबंध में 34774 रुपए का पट्टा किराया बकाया है।

एनएसईजेड ने अपने आदेश दिनांक 23 मार्च 2017 में बताया है कि फर्म की ओर से फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि ने सूचित किया है कि प्रोपराइटर का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वे गतिविधियां शुरू नहीं कर सके और 6 माह की अगली अवधि के लिए एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया क्योंकि यूनिट पिछले कुछ वर्षों से बंद पड़ी है तथा खरोंच से पुन: शुरूआत करने की आवश्यकता है। यूनिट अनुमोदन समिति ने अधिकृत प्रतिनिधि को सूचित किया कि यूनिट का एलओए 3 नवंबर 2016 को कालातीत हो चुका है तथा एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 11 (5) के तहत पट्टा अधिकार समाप्त हो जाएगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि अनुमोदन समिति ने मामले पर विस्तार से विचार विमर्श किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यूनिट 2010-11 से निष्क्रिय पड़ी हुई है और पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद यूनिट अपनी गतिविधि फिर से शुरू नहीं कर सकी है। अनुमोदन समिति ने एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के इस मामले को जायज नहीं समझा तथा तीन नवंबर 2016 को एलओए की वैधता अवधि समाप्त हो जाने के बाद एलओए की अवधि पुन: बढ़ाने के लिए सहमत नहीं हुई। अत: अनुमोदन समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची तथा संपदा प्रबंधन अनुभाग को बकाया पट्टा किराया की वसूली तथा यूनिट को आवंटित स्थान का कब्जा वापस लेने के लिए पीपी अधिनियम के प्रावधानों के तहत यूनिट के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया। इसके अलावा यूनिट अनुमोदन समिति ने यूनिट को पत्र की प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अंदर स्टाक में पड़े पूंजी माल, निर्मित माल, कच्चा माल तथा उपभोज्य वस्तुओं के संबंध में छूट, ड्राबैक, रियायत एवं किसी अन्य लाभ का ब्यौरा प्रदान करने का निदेश दिया। इसके अलावा यूनिट ने वित्त वर्ष 2009-10 तक अच्छा निर्यात टर्नओवर प्राप्त किया है और संख्या 0036 दिनांक 22 जनवरी 2004 के माध्यम से स्टार हाउस प्रमाण पत्र

तथा प्रमाण पत्र संख्या 00096 दिनांक 23.12.2005 के माध्यम से 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस के रूप में प्रमाणित भी किया गया है।

अपीलकर्ता ने अपनी अपील दिनांक 24 अप्रैल 2017 में बताया है कि वित्त वर्ष 2009-10 तक यूनिट ने निर्यात व्यवसाय में अच्छा काम किया तथा इसके बाद प्रतिकूल अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कारण अपीलकर्ता कोई और निर्यात नहीं कर सका। तथापि, दुर्भाग्य से अपीलकर्ता हिप बोन इंजरी का शिकार हो गया जिसकी वजह से विदेशों का दौरा नहीं कर सका और इस प्रकार कुछ समय के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार से दूर हो गया। इसके फलस्वरूप बहुमूल्य अंतर्राष्ट्रीय क्लायंट छूट गए और अनेक अंतर्राष्ट्रीय क्लायंट को फर्म से संबंध कार्मिकों ने हथिया लिया है।

अपीलकर्ता ने उपर्युक्त अस्वीकृति के खिलाफ वर्तमान अपील (अनुबंध 1) दाखिल की है।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) यूनिट अनुमोदन समिति, एपीएसईजेडएल द्वारा पारित आदेश दिनांक 7 अप्रैल, 2017 के विरुद्ध मैसर्स फास्ट ट्रैक सीएफएस प्राइवेट लिमिटेड जो एपीएसईजेडएल की यूनिट है, की अपील

मैसर्स फास्ट ट्रैक सीएफएस प्राइवेट लिमिटेड को प्लाट नंबर 3, ब्लाक सी, सेक्टर 11, अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड, तालुक मुंद्रा, जिला कच्छ, गुजरात में अडानी पोर्ट एंड एसईजेड (एपीएसईजेड) में माल गोदाम के प्रचालन के लिए अधिकृत यूनिट स्थापित करने के लिए 6 मई 2014 को एलओपी प्रदान किया गया था। अपीलकर्ता ने आवेदन दिनांक 21 नवंबर 2016 के माध्यम से एसईजेड यूनिट के अंदर निर्धारित एवं अलग एन्क्लोजर में डीटीए कार्गो को हैंडल करने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए यूनिट अनुमोदन समिति से संपर्क किया था। इसके अलावा अपीलकर्ता ने निम्नलिखित आधार पर अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया था :

(क) एसईजेड नियमावली 2006 का नियम 11 (11)

(ख) मैसर्स एंपेजर लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड जो अपीलकर्ता यूनिट के पास एपीएसईजेड, मुंद्रा में स्थिति एसईजेड यूनिट है, के मामले में पिछले दृष्टांत। उक्त संस्था को अपनी एसईजेड यूनिट के अंदर निर्धारित क्षेत्र में डीटीए कार्गो हैंडल करने की नुमति प्रदान की गई थी। चेन्नई में जय मातादी एसईजेड की यूनिट मैसर्स इंदेव वेयरहाउसिंग के मामले का भी उदाहरण दिया गया।

(ग) एपीएसईजेड में एसईजेड कार्गो का पर्याप्त व्यवसाय उपलब्ध नहीं है, जिसमें आवेदक की यूनिट स्थित है।

(घ) तथापि, यूनिट अनुमोदन समिति ने पत्र दिनांक 7 अप्रैल 2017 के माध्यम से ऐसे अनुरोध को मिथ्या आधार पर अस्वीकार कर दिया कि ऐसी अनुमति प्रदान करने के लिए एसईजेड अधिनियम या नियमावली में कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। सादर निवेदन है कि बुद्धि का समुचित रूप से प्रयोग किए बगैर और निर्णय के लिए आधार का उल्लेख किए बगैर यंत्रवत ढंग से अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया।

तथापि, यूनिट अनुमोदन समिति ने पत्र दिनांक 7 अप्रैल 2017 के माध्यम से सूचित किया है कि अनुमोदन समिति ने 30 मार्च 2017 को आयोजित बैठक में पाया था कि उपर्युक्त यूनिट का अधिकृत प्रचालन एसईजेड अधिनियम 2005 और एसईजेड नियमावली 2006 के प्रावधानों अनुसार माल गोदाम का व्यवसाय करने के लिए है। यूनिट द्वारा अब प्रस्तावित गतिविधि सामान्य सीएफएस गतिविधि है जो एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अनुसार एसईजेड क्षेत्र में अनुमत नहीं है इसलिए समिति ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।

अपीलकर्ता ने उपर्युक्त अस्वीकृति के खिलाफ वर्तमान अपील (अनुबंध 2) दाखिल की है।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

****